न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ जिला बीकानेर

मु0न0 01/2019

निर्णय दिनांक 28.02.2019

हेतराम पडिहार पुत्र ख्यालीराम पडिहार कौम मेघवाल साकिन 4 अ 42 पवनपुरी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

मोहन सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत साकिन राजासर भाटियान तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

(अप्रार्थी)

किस्म मुकद्मा : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी हेतराम पडिहार पुत्र ख्यालीराम पडिहार कौम मेघवाल साकिन 4 अ 42 पवनपुरी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री योगेश चुघ, मोहन सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत साकिन राजासर भाटियान तहसील छतरगढ जिला बीकानेर के खिलाफ धारा 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही राजासर भाटियान ख0न0 254/1854 में 15.00 बीघा भूमि के अवैध कब्जे को खाली किये जाने हेतु दिनांक 15.11.2018 को नोटिस जारी किया गया, नोटिस अदम तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को पुन : नोटिस दिनांक 14.12.2018 को जारी किया गया, नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अप्रार्थी मोहन सिंह दिनांक 28.12.2018 को उपस्थित हुआ एवं अप्रार्थी मोहनसिंह की तरफ से विद्ववान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा गया। विद्ववान अधिवक्ता को जवाब हेतु समय दिया गया। तारीख पेशी दिनांक 16.01.2019 को अप्रार्थी विद्ववान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति प्रार्थी विद्ववान अधिवक्ता श्री योगेश चुघ को उपलब्ध करवाई जाकर, प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी विद्ववान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि सम्वत 2016 से पूर्व से राजासर भाटियान के खसरा नम्बर 526/124 बीघा बारानी भूमि खातेदारी चली आ रही थी, जो अप्रार्थी के पिता बन्ने सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में बन्ने सिंह के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया एवं विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय लिपिकिय त्रुटिवंश 80 बीघा के स्थान पर 67.09 बीघा विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया। शेष 12.11 बीघा भूमि पर अप्रार्थी का सम्वत 2016 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि बाबत घोषणात्मक वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ मे अनवान भोमसिंह बनाम स्टेट जैरकार है।

दिनांक 01.02.2019 को पटवारी हल्का राजासर भाटियान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अप्रार्थी मोहनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन राजासर भाटियान का ख0न0 256 में 20.12 बीघा ग्राम राजासर से ग्राम सादोलाई मार्ग से लगभग 9 जरीब तक मोहन सिंह का सेटेलमेण्टशुदा रकबा है एवं मोहन सिंह की भूमि के बाद प्रार्थी हेतराम पड़िहार पुत्र ख्यालीराम पडिहार कौम मेघवाल साकिन 4 अ 42 पवनपुरी, बीकानेर के नाम से ख0न0 254/1854 में 25.00 बीघा भूमि तरमीमशुदा है। अप्रार्थी मोहन सिंह की भूमि में मौके पर एक कुण्ड व पक्का मकान बना हुआ है। मौके पर दोनो खसरा नम्बर पर कोई फसल नही है व मौके पर खाली है।

तत्पश्चात दिनांक 07.02.2019 को प्रार्थी के रकबे पर कब्जा बाबत पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रार्थी व अप्रार्थी के रकबे के बीच सीमा कायम करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया, उक्त आदेश की पालना मे पटवारी हल्का राजासर भाटियान द्वारा दिनांक 27.02.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के ख0न0 254/1854 रकबा 25.00 बीघा भूमि हेतराम पडिहार पुत्र ख्यालीराम पडिहार कौम मेघवाल साकिन 4 अ 42 पवनपुरी, बीकानेर खातेदार दर्ज है, तरमीमशुदा है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर मौके पर खाली है। उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी मोहन सिंह का कब्जा नही है एव ना ही अप्रार्थी ने कब्जा/काश्त किया था। अप्रार्थी मोहनसिंह का कब्जा/काश्त स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ख0न0 256 पर है।

हमने सभी तथ्यो का मनन किया ख0न0 254/1854 रकबा 25.00 बीघा भूमि प्रार्थी हेतराम पडिहार पुत्र ख्यालीराम पडिहार कौम मेघवाल साकिन 4 अ 42 पवनपुरी, बीकानेर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है, तरमीमशुदा है। प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी मोहन सिंह का कब्जा/काश्त नही है। अत : प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थी की तरमीमशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार जाखड़)
तहसीलदार (राजस्व)
छतरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner